वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2021-चैत्र-26, शके 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

My son Kanishka Jaydeep Shah has changed his name to Kanishk Jaydeep Shah.

Jaydeep Shah,
Bunglaw 1, Gandhi Road,
Gwalior (M.P.).

(833-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में त्रिनेत्र अहिरवार था. जो कि अब त्रिनेत्र सिंह हो गया है. अतः अब मुझे त्रिनेत्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(त्रिनेत्र अहिरवार)

नया नाम :
(त्रिनेत्र सिंह)
पिता-श्री गोविंद दास,
म. नं. 56, सुंदर नगर, न्यू अशोका गार्डन,
भोपाल (म.प्र.).

(09-बी.)

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was BHAWNA KHILRANI D/o ISHWAR LAL KHILRANI after marriage I have changed my name HARSHA NANWANI W/o DINESH NANWANI.

Old Name :
(BHAWNA KHILRANI)

New Name :
(HARSHA NANWANI)
Address-C-3/2, Rishi Nagar,
Ujjain (M.P.).

(11-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष ठाकुर पिता श्री सुन्दर सिंह ठाकुर पता मकान नंबर-106, चित्रगुप्त नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जाना जाता हूँ. मेरे शासकीय व अर्द्ध शासकीय विविध दस्तावेज प्रपत्रों में जैसे अंकसूची व

पहचान पत्र में मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर, महेंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह, संतोष ठाकुर, महेंद्र सिंह ठाकुर है, उक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं, अब मैं, अपना नाम संतोष कुमार ठाकुर रखना चाहता हूँ, भविष्य में मुझे इसी नाम संतोष कुमार ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(संतोष ठाकुर)
(महेंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह ठाकुर) (महेंद्र सिंह)
(महेंद्र सिंह ठाकुर)

नया नाम

(संतोष कुमार ठाकुर)

(10-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Kanhaiyalal Patidar S/o Shyam Sundar Patidar hereby declare that I have change my name as Kanhaiya Patidar S/o Shyam Sundar Patidar So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(KANHAIYALAL PATIDAR)

New Name :

(KANHAIYA PATIDAR)
S/o Shyam Sundar Patidar,
Address-Post Kumhariyua Khas,
Tah. Mo Badodiya Gram, Kumhariya Khas
Distt. Shajapur (M.P.).

(15-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा उपनाम सुशीला सेन था, जिसे परिवर्तित करके सुशीला सिंह पंवार कर लिया है, अत: मुझे मेरे व मेरे बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये उपनाम सुशीला सिंह पंवार से ही लिखा व पढ़ा जावे एवं मेरे पुत्र की 10वीं कक्षा की अंकसूची में भी मेरा नाम नये उपनाम के साथ सुशीला सिंह पंवार ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुशीला सेन)

नया नाम :

(सुशीला सिंह पंवार)
ए. एम. 8, सुखलिया, दिनदयाल उपाध्याय नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(16-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित राकेश कुमार ठाकुर (RAKESH KUMAR THAKUR) हो गया है. अत: मुझे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(राकेश कुमार)
(RAKESH KUMAR)

नया नाम :

(राकेश कुमार ठाकुर)
(RAKESH KUMAR THAKUR)
निवासी-मकान नम्बर-190, माँ शारदा दुर्गा रोड के सामने,
उमरी, आदर्श नगर, बाग सेवनिया (ग्राम) अहमदपुर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(18-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. करून वेंचर्स, पता-202, लसूड़िया मोरी, देवास नाका, इन्दौर म.प्र. है. जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 03/27/01/0359/16, दिनांक 21-03-2016 जिसमें भागीदार क्र. 01 श्रीमती कनुप्रिया श्रीवास्तव जैन पत्नि श्री वरुण जैन है. भागीदार क्र. 02 श्री वरुण जैन पुत्र श्री पी. के. जैन है. यह कि दिनांक 08-03-2021 को आपसी सहमति से श्रीमती वन्दिता श्रीवास्तव पत्नि श्री राकेश श्रीवास्तव भागीदारी फर्म में दाखिल हुये है एवं भागीदार क्र. 02 श्री वरुण जैन पुत्र श्री पी. के. जैन फर्म से अलग हुए है.

मै. करून वेंचर्स,
कनुप्रिया श्रीवास्तव जैन,
(भागीदार).

(12-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Chunnilal Champalal & Company, पता 104, Holi Chowk, Baghana, Neemuch (M.P.) पंजीयन क्रमांक 4343, दिनांक 23-03-1959 है. जिसमें दिनांक 16-02-2021 को श्री ओमप्रकाश गर्ग पिता

श्री किशन लाल जी गर्ग, पता 104, होली चौक, बघाना नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है तथा जिसमें दिनांक 17-02-2021 को श्रीमती पुष्पा गर्ग पति स्व. श्री ओमप्रकाश जी गर्ग, पता 104, महात्मा गांधी मार्ग, बघाना, नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) को नये भागीदार के रूप में फर्म M/s. Chunnilal Champalal & Company, पता 104, Holi Chowk, Baghana, Neemuch (M.P.) में प्रवेश हुआ है. वर्तमान में इस फर्म M/s. Chunnilal Champalal & Company में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे.

चुन्नीलाल चम्पालाल एंड कंपनी,
पुष्पा गर्ग, कैलाश चन्द्र मंगल, कृष्ण कुमार गर्ग,
मास्टर अनिकेत गर्ग (नेचुरल गार्जियन माता योगिता गर्ग)
(13-बी.) (पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Champalal Agrawal And Company, पता 104, Holi Chowk, Baghana, Neemuch (M.P.) पंजीयन क्रमांक 07/34/01/0085/17, दिनांक 28-10-2017 है. जिसमें दिनांक 16-02-2021 को श्री ओमप्रकाश गर्ग पिता श्री किशन लाल जी गर्ग, पता 104, होली चौक, बघाना, नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है तथा जिसमें दिनांक 17-02-2021 को श्रीमती पुष्पा गर्ग पति स्व. श्री ओमप्रकाश जी गर्ग, पता 104, महात्मा गांधी मार्ग, बघाना, नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) को नये भागीदार के रूप में फर्म Champalal Agrawal And Company, पता 104, Holi Chowk, Baghana, Neemuch (M.P.) में प्रवेश हुआ है. वर्तमान में इस फर्म Champalal Agrawal And Company में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे.

Champalal Agrawal And Company,
पुष्पा गर्ग, कृष्ण कुमार गर्ग,
मास्टर अनिकेत गर्ग (नेचुरल गार्जियन माता योगिता गर्ग)
(14-बी.) (पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. रामराजा ग्रेनाइट जिसका पता म. नं. 01, दिदवारा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म.प्र. दिनांक 03-10-2017 से एक भागीदारी फर्म है, जिसमें देवेन्द्र शिवहरे एवं नेहा शिवहरे दो भागीदार थे. अब दिनांक 01-04-2019 से उक्त फर्म में 1. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, 2. श्रीमती राज अग्रवाल, 3. सुरज प्रसाद गुप्ता, 4. श्रीमती उर्मिला गुप्ता, 5. संजय जोशी एवं 6. विपुल अग्रवाल नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. अब उक्त फर्म का संचालन 1. देवेन्द्र शिवहरे, 2. नेहा शिवहरे, 3. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, 4. श्रीमती राज अग्रवाल, 5. सुरज प्रसाद गुप्ता, 6. श्रीमती उर्मिला गुप्ता, 7. संजय जोशी एवं 8. विपुल अग्रवाल कर रहे हैं. सभी भागीदारों ने आपसी सहमति से फर्म का उक्त पता परिवर्तित करके फर्म का नया पता खं. नं.-1156, ग्राम पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म.प्र. कर लिया है. सो विदित हो.

M/s. Ramraja Granite,
देवेन्द्र शिवहरे,
(17-बी. (भागीदार).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड-जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 25, मार्च, 2021

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत्]

क्र./1244/रीडर-1/2021.-- आवेदक सुरेशचन्द्र पिता अवंतिलाल शर्मा, निवासी-ग्राम कालूखेडा, तहसील पिपलौदा द्वारा धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 22 अप्रैल, 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 02.30 बजे की जावेगी.

अत: जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 22 अप्रैल, 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम	:	श्री विश्वकर्मा जांगिड़ ब्राहम्ण मेवाड़ा समाज सकल पंच मन्दिर पेढ़ी ट्रस्ट सुखेड़ा.
2. चल सम्पत्ति का विवरण	:	पीतल घंटी 2 नग, चांदी के मुकुट 3 नग, घड़ियाल मशीन 1 नग, आरती बड़ी 1 नग, अलमारी 1 नग, झूला 1 नग, दान पेटी 1 नग, अनुमानित कीमत रुपये 1,15,000/- एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा सुखेड़ा के बचत खाता क्रमांक 666011009019 में राशि रुपये 4,91,819/- जमा हैं.
3. अचल सम्पत्ति का विवरण	:	ग्राम सुखेड़ा स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 1143 रकबा 2.170 हेक्टर असिंचित भूमि है.

राहुल धोटे,
(218) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास, जबलपुर

प्रारूप-4

रा.प्र.क्र/01/बी-113/1/20-21. [नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा- 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

चूंकि विषणु प्रसाद पटैल पिता रामसहाय पटैल निवासी ग्राम रैपुरा के द्वारा '' श्री हनुमान जी दरबार सेवा ट्रस्ट एस.ए.ई. मेन रोड रैपुरा'' के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी संपति लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 अप्रैल, 2021 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राहय नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम	:	श्री हनुमान जी दरबार सेवा ट्रस्ट एस. ए. ई. मेन रोड रैपुरा.
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक
3. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम रैपुरा प.ह. 22, तहसील पनागर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 500/5/2 रकबा 0.010 है. खसरा क्रमांक 500/8 रकवा 0.80 है.

जारी दिनांक 22 मार्च, 2021

नमः शिवाय अरजरिया,
(219) पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रहली, जिला सागर

रा.प्र.क्र. /बी-113/वर्ष2020-21. रहली, दिनांक 24 मार्च, 2021

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सरजू प्रसाद पिता गोरेलाल सेन निवासी रहली, तहसील रहली, जिला सागर मध्यप्रदेश ने माँ सिंहवाहिनी देवी मंदिर सेन समाज रहली, तहसील रहली का न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्ताव दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत किया है. बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

1. न्यास का पूरा नाम व पता	:	माँ सिंहवाहिनी देवी मंदिर सेन समाज रहली वार्ड नं. 09 किले के पास, तहसील रहली, जिला सागर.
2. लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य	:	धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान.
3. वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रबंधन कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्थित है	:	वार्ड नं. 09 किले के पास तहसील रहली, जिला सागर.

4. कार्यकारी न्यास धारी और प्रबंधन का नाम उनके पते सहित	:	1. श्री सरजूप्रसाद पिता गोरेलाल सेन रहली प्रबंधक कार्यकारी न्यासी, 2. राजकुमार पिता बाबूलाल सेन रहली, सचिव, 3. देवकीनंदन पिता अनंदी सेन पटनाककरी रहली, कोषाध्यक्ष, 4. रामकिशोर पिता मुरलीधर सेन खमरिया, संयुक्त सचिव, 5. रामभरोसे पिता बारेलाल सेन रहली, उपा., 6. रामस्वरूप पिता नाथूराम सेन, न्यासी, 7. सुर्दशन पिता रामप्रसाद सेन रहली, न्यासी, 8. गोटीराम पिता खुमान सेन, न्यासी, 9. श्री कुंजीलाल पिता लक्ष्मनसेन खमरिया, न्यासी तहसील रहली, जिला सागर.
5. न्यासी पद या व्यवस्थापक पद के उत्तराधिकार की रीति	:	चुनाव द्वारा
6. न्यास को सृजित करने वाले लिखतमों के विवरण	:	प्रस्ताव दिनांक 25-10-2020
7. न्यास से संबंधित योजना यदि कोई हो तो विवरण प्रतियां संलग्न करें	:	निरंक
8. ऐसी संपत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल सहित जंगम संपत्ति	:	निरंक
9. स्थावर संपत्ति	:	रहली वार्ड नं. 09 में मंदिर स्थापित, 833.37 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र 713.31 वर्गफुट खाली चबूतरा, भवन 186.37 वर्गफुट (पक्का), खाली जगह 1155.50 वर्गफुट उक्त समस्त भूमि अंदर आबादी क्षेत्र में है. ग्राम समनापुर कला प.ह.न. 08 स्थित भूमि ख.नं. 356 रकवा 0.69 हे. भूमि एवं ग्राम ठिकुआ प.ह.न. 22 स्थित भूमि खं.न. 342/3, 344/2 रकवा क्रमशः 0.40, 0.06 हे, कुल रकवा 1.15 हे. भूमि.
10. जमीन कीमती	:	मंदिर अनु. मूल्य 16,66,740/- खाली चबूतरा अनु.मूल्य 10,69,965/- कार्यालय भवन अनु.मू. 3,72,740/- खाली जगह 17,33,250/-
11. न्यास की आय के साधन	:	वार्षिक चंदा (सदस्यता राशि) आजीवन सदस्यता राशि एवं दान राशि.
12. कुल वार्षिक औसत आय	:	60,000/- रुपया
10. कुल व्यय	:	50,000/- रुपया
न्यासधारियों और प्रबंधक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक - निरंक, स्थापना व कर्मचारी पर व्यय- नि: शुल्क धार्मिक उदेश्य पर 25000/- पच्चीस हजार रुपये, पुण्यार्थ उदेश्यों पर - 5000/- पांच हजार रुपये, विविध मदो पर 20,000/-		
11. न्यास संपत्ति पर ऋणभार यदि कोई हो के विवरण	:	नहीं

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 17 मई, 2021 को 11.00 बजे दिन को नियत की गई है. उक्त संबंध में जिसे आपत्ति हो, वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक व समय पर उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. म्याद गुजरने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जीतेन्द्र कुमार पटेल,
अनुविभागीय अधिकारी.

(220)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 24 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसयाटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/....—मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी

का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पावखेड़ी, तहसील आष्टा पंजीयन क्र. 1851, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 इसके लेखा वर्ष 2019-20 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पावरखेड़ी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पावखेड़ी को परिसमापन में लाये जाने संबंधि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पावरखेड़ी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24 मार्च, 2021 को जारी किया गया.

(221)

सीहोर, दिनांक 24 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसयाटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/....—मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

आस्था क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी मर्या., आष्टा, तहसील आष्टा पंजीयन क्र. 1695, दिनांक 16 जनवरी, 2013 इसके लेखा वर्ष 2019-20 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार आस्था क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी मर्या., आष्टा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत आस्था क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी मर्या., आष्टा को परिसमापन में लाये जाने संबंधि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आस्था क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी मर्या., आष्टा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24 मार्च, 2021 को जारी किया गया.

(222)

सीहोर, दिनांक 24 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसयाटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/....—मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूलखेड़ी, तहसील आष्टा पंजीयन क्र. 1204, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूलखेड़ी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूलखेड़ी को परिसमापन में लाये जाने संबंधि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूलखेड़ी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24 मार्च, 2021 को जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(223)

कार्यालय उप-रजिट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 19 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/1825.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2018/2564 धार, दिनांक 10 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेडगांव, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 681, दिनांक 20 जनवरी, 1986 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री नितेश कोगे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री नितेश कोगे, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेडगांव, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(224)

धार, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/2011.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2019/14 धार, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा रतनपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुरा, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1601, दिनांक 12 जून, 2015 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर. धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए.के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री ए.के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुरा, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

परमानन्द गोडरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

(226)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला धार

धार, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/1843.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1468, दिनांक 23 अगस्त, 2012 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उण्डेली, तहसील सरदारपुर, जिला धार पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 23 जनवरी, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री राकेश व्यास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई है.

श्री राकेश व्यास, द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2021 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उण्डेली, तहसील सरदारपुर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उपायुक्त सहकारिता, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता के ज्ञाप क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राकेश व्यास को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकॉर्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(225)

धार, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (अ) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/2014.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 905, दिनांक 23 जून, 2015 से श्री वेष्णव बैरागी सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 15 सितम्बर, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई है.

श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2021 को श्री वेष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उपायुक्त सहकारिता, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता के ज्ञाप क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत परिसमापक श्री रमेश पेंढारकर, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकॉर्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

परमानन्द गोडरिया,
उपायुक्त सहकारिता.

(227)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2021.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2021-चैत्र-26, शके 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2021.